बिहार सरकार

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

6446
31/7/25

:: अधिसूचना ::

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित डॉ0 भीमराव अम्बेडकर 10+2 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक/बालिका विद्यालयों में विहित वेतनमान में नियुक्त एवं कार्यरत प्रधानाध्यापक, स्नातक सहायक शिक्षक (प्रशिक्षित) एवं प्राथमिक शिक्षक (इन्टरमीडिएट प्रशिक्षित) के पदों पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों हेतु बिहार राजकीय अम्बेडकर आवासीय विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवाशर्त) नियमावली–2014 (समय–समय पर यथा संशोधित) अधिसूचित था।

2– वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिये गये परामर्श के आलोक में शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के समरूप नामकरण एवं वेतनमान के आधार पर बिहार राजकीय अम्बेडकर आवासीय विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, प्रोन्नति, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली–2023 अधिसूचित किया गया है। प्रासंगिक नियमावली के नियम–32 में बिहार राजकीय अम्बेडकर आवासीय विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवाशर्त) नियमावली–2014 (समय–समय पर यथा संशोधित) को निरसित किया गया है।

3– बिहार राजकीय अम्बेडकर आवासीय विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवाशर्त) नियमावली–2014 (समय–समय पर यथा संशोधित) के आलोक में पूर्व से विहित वेतनमान में स्वीकृत पदों की स्थिति (Status) को स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

4– तदालोक में सम्यक विचारोपरान्त बिहार राजकीय अम्बेडकर आवासीय विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवाशर्त) नियमावली–2014 (समय–समय पर यथा संशोधित) के निरसित होने के उपरांत विहित वेतनमान में स्वीकृत प्रधानाध्यापक, स्नातक सहायक शिक्षक (प्रशिक्षित) एवं प्राथमिक शिक्षक (इन्टरमीडिएट प्रशिक्षित) के पदों को निम्नांकित रूप से सम्परिवर्तित किया जाता है:–

(क) इस संवर्ग के स्नातक सहायक शिक्षक (प्रशिक्षित) एवं प्राथमिक शिक्षक (इन्टरमीडिएट प्रशिक्षित)) के पदधारक की सेवानिवृत्ति एवं अन्य कारणों

से उपलब्ध होने वाले रिक्त पद रिक्ति की तिथि से ही '' बिहार राजकीय अम्बेडकर आवासीय विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, प्रोन्नति, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली–2023 '' के अधीन नियुक्ति हेतु सम्परिवर्तित माने जायेंगे। ऐसे सम्परिवर्तित पदों पर '' बिहार राजकीय अम्बेडकर आवासीय विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, प्रोन्नति, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली–2023 '' के प्रावधान के आलोक में भविष्य में नियुक्ति की जायेगी।

(ख) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों में विहित वेतनमान में सीधी नियुक्ति से भरे जाने वाले प्रधानाध्यापक के 20 प्रतिशत पदों को '' बिहार राजकीय अम्बेडकर आवासीय विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, प्रोन्नति, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली–2023 '' के अधीन नियुक्ति हेतु सम्परिवर्तित करते हुए इस पद पर '' बिहार राजकीय अम्बेडकर आवासीय विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, प्रोन्नति, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली–2023 '' के अन्तर्गत नियुक्ति की जायेगी।''

(दिवेश सेहरा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः–02डी0/शि0स्था0–60–01/2014– 6446 पटना, दिनांकः– 31/07/25

प्रतिलिपि :– ई–गजट, वित्त विभाग, बिहार पटना को संकल्प की दो प्रतियाँ एवं सी0डी0 के साथ ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः–02डी0/शि0स्था0–60–01/2014– 6446 पटना, दिनांकः– 31/07/25

प्रतिलिपि :–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को राजकीय गजट के साधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस संकल्प की 500 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः–02डी0 / शि0स्था0–60–01 / 2014– 6446 पटना, दिनांकः– 31/07/25

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ ,पटना / मुख्य सचिव, बिहार / सभी अपर मुख्य सचिव, बिहार / सभी प्रधान सचिव, बिहार / सभी सचिव, बिहार / सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार / सभी जिला पदाधिकारी / सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः–02डी0 / शि0स्था0–60–01 / 2014– 6446 पटना, दिनांकः– 31/07/25

प्रतिलिपि :–निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार, पटना / सभी प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण / सभी जिला कल्याण पदाधिकारी / आई0टी0 मैनेजर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः–02डी0 / शि0स्था0–60–01 / 2014– 6446 पटना, दिनांकः– 31/7/25

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव